तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

न्याय आपके द्वार 2018

6-6-18

रामनारायण

पंजाबली सालम्बलोक अदालत कैम्प कोर्ट सिंघोली में पेश हुई पंजाबली एवं पंजाबली पक्ष उपस्थित हिर्मई का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस स्पष्ट प्रमाणित है, प्रतिवादीगण प्रतिपक्षीगण के पक्ष में पारित की जाती है। अपूरणीय क्षति का किसी भी पीड़ाधीगण के पक्ष में पारित की जाती है। मूल वाद के निस्तारण तक अपीलीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अपीलीगण को मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम आमन के प्रतिबन्धित किया जाता है कि मुगनवाड़ी तहसील दौसा में स्थित ख.नं. 2272, 2275 मय 2289, 2295 मय 2297 तथा 2304 कुल बिघा 20 कुल रकबा 11.76 है. भूमि में कोई अवैध निर्माण नहीं करें अपीलीगण को मौके पर दखलंदाजी नहीं करें। प्रकरण कैसल युगल कैम्प जयपुर से कार्यरत तथा वाद तहसील प्रविष्ट लेख पटवार है तथा मूल वाद के संबंधित है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सिंघोली के सभागार आज में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दौसा